2022/248

फर्द अहकाम

सुमित्रा बनाम गोपाल वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)
प्रकरण संख्या .....73...../2022 प्रा0पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3/8/22	प्रार्थीया की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जरिये एम.एल.दायमा मूल वाद पत्र के साथ पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी को एक पक्षीय बहस में सुना गया । प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझते है। अतः अप्रार्थीगणों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया गया जाता है कि हाल आराजी खसरा नंबर 1331/126, 1336/128, 994 कुल किता–3 रकबा 0.4100 है0 वाकै ग्राम सुराणा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीया के हिस्से तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को यदि कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। तदानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 31.8.22 को पेश हों । उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
	31.8.22	वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थीगण सं० 1 से 4 की तरफ से नोटिस तामील है लेकिन कोई उपस्थित नहीं है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगणों को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मूल वाद अदालत का है तथा प्रकरण में कुर्की जप्ती होकर विधिवत कुर्की के बाद निस्तारण से जाने वाले समय को ध्यान में रखते हुए दिनांक 3/8/22 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित समझते है। अतः इन्तजामालय के मोरा दिनांक 3/8/2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक बरकरार किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार होकर मूलवाद के हमराह है। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	